प्रो. श्यामा रथ
सदस्य सचिव
Prof. Shyama Rath
Member Secretary

सत्यमेव जयते

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
दूरभाष : 011–29581399
ई–मेल : ms@aicte-india.org

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVT. OF INDIA)
Ministry of Education, Govt. of India
Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070
Phone : 011-29581399
E-mail : ms@aicte-india.org

F. No.: 25-AICTE/AR/Anti-Ragging/2026 **Dated: 11.08.2026**

Subject: Observance of Anti-Ragging Day on 12th August, followed by Anti-Ragging Week from 12th August to 18th August, 2026.

Dear Sir / Madam,

The All India Council for Technical Education (AICTE) has notified the Anti-Ragging Regulations, 2009, along with subsequent amendments issued from time to time. It is mandatory for all AICTE-approved Institutions and Universities to strictly adhere to and implement the measures prescribed under these Regulations.

In continuation of our nationwide awareness efforts, Anti-Ragging Day will be observed on 12th August, followed by the observance of Anti-Ragging Week from 12th August to 18th August, 2026. This annual initiative serves as a vital tool to amplify awareness and foster a culture of respect among students.

Accordingly, all institutions are requested to lead active participation by planning and executing the following awareness activities during this period:

1. Social Media Campaigning: Actively use the official hashtag #YaARIYouthAgainstRagging in all awareness activities, social media campaigns, and digital posts celebrating Anti-Ragging Day/Week. Please ensure that AICTE is tagged in all official posts.
2. Institutional Broadcasts: Disseminate strong anti-ragging messages on the institution's official website and social media handles, including dedicated video messages recorded by the Head of the Institution.
3. Campus Events and Competitions: Organize educational and creative programs, including:
   - Inaugural and pledge ceremonies.
   - Creative competitions (Slogan writing, essay writing, poster making, logo designing, photography, and short reel creation).
   - Performing arts and debates (Street plays/Nukkad Natak, quiz competitions, and interactive debates on anti-ragging themes).
   - Academic forums (Anti-ragging workshops, seminars etc.
   - Media screenings (Broadcasting short films, documentaries, and TVCs to students, faculty, and staff).

4. Campus Selfie Corners: Establish a dedicated "Anti-Ragging Selfie Corner" in a prominent, high-traffic location on campus. Standard size and design can be downloaded directly from the official Anti-Ragging portal.

5. Flexible Scheduling: Depending on local academic calendars and student availability, these promotional awareness activities may be extended and sustained throughout the entire month of August.

Following the conclusion of these events, all higher education institutions are required to compile and upload an Action Taken Report (ATR)—detailing overall activities, participant counts, social media links, and a Google Drive folder of event photographs—via the official link: https://antiragging.in/action-taken-on-celebration-of-anti-ragging-day-2026.php.

Your personal leadership in making this campaign a success is highly anticipated.

With regards.

Shyama Rath

(Shyama Rath)

To

The Principal/Director/Registrar
All AICTE approved Institutions/Universities

Copy to:

The Secretary
University Grants Commission, New Delhi

प्रो. श्यामा रथ
सदस्य सचिव
Prof. Shyama Rath
Member Secretary

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
दूरभाष : 011–29581399
ई–मेल : ms@aicte-india.org

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATIO
(A STATUTORY BODY OF THE GOVT. OF INDIA)
Ministry of Education, Govt. of India
Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070
Phone : 011-29581399
E-mail : ms@aicte-india.org

सत्यमेव जयते

पत्रांक संख्या: 25-AICTE/AR/Anti-Ragging/2026 दिनांक: 11.08.2026

विषय: 12 अगस्त को एंटी-रैगिंग (रैगिंग विरोधी) दिवस और उसके बाद 12 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक एंटी-रैगिंग सप्ताह मनाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों के साथ एंटी-रैगिंग विनियम, 2009 (Anti-Ragging Regulations, 2009) अधिसूचित किए हैं। सभी AICTE-अनुमोदित संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए इन नियमों के तहत निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन और कार्यान्वयन करना अनिवार्य है।

हमारे देशव्यापी जागरूकता प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, 12 अगस्त को एंटी-रैगिंग दिवस मनाया जाएगा, जिसके बाद 12 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक एंटी-रैगिंग सप्ताह मनाया जाएगा। यह वार्षिक पहल जागरूकता बढ़ाने और छात्रों के बीच सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य करती है।

तदनुसार, सभी संस्थानों से अनुरोध है कि वे इस अवधि के दौरान निम्नलिखित जागरूकता गतिविधियों की योजना बनाकर और उन्हें पूरा करके सक्रिय भागीदारी का नेतृत्व करें:

1. सोशल मीडिया अभियान: एंटी-रैगिंग दिवस/सप्ताह मनाने से जुड़ी सभी जागरूकता गतिविधियों, सोशल मीडिया अभियानों और डिजिटल पोस्ट में आधिकारिक हैशटैग #YaARIYouthAgainstRagging का सक्रिय रूप से उपयोग करें। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी आधिकारिक पोस्ट में AICTE को टैग किया गया हो।
2. संस्थान द्वारा प्रसारण: संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर रैगिंग विरोधी कड़े संदेश प्रसारित करें। जिसमें संस्थान के प्रमुख द्वारा रिकॉर्ड किए गए विशेष वीडियो संदेश भी शामिल हों।
3. परिसर में कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं: शैक्षणिक और रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करें, जिनमें शामिल हैं:
    - उद्घाटन और शपथ ग्रहण समारोह।
    - रचनात्मक प्रतियोगिताएं (स्लोगन लेखन, निबंध लेखन, पोस्टर मेकिंग, लोगो डिजाइनिंग, फोटोग्राफी और शॉर्ट रील बनाना)।

- प्रदर्शन कला और वाद-विवाद (नुक्कड़ नाटक, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं और एंटी-रैगिंग विषयों पर संवाद/वाद-विवाद)।
- शैक्षणिक मंच (एंटी-रैगिंग कार्यशालाएं, सेमिनार आदि)।
- मीडिया स्क्रीनिंग (छात्रों, फैकल्टी और कर्मचारियों को लघु फिल्में, वृत्तचित्र और टीवी विज्ञापन दिखाना)।

4. परिसर में सेल्फी कॉर्नर: परिसर में किसी प्रमुख और अधिक आवाजाही वाले स्थान पर एक समर्पित "एंटी-रैगिंग सेल्फी कॉर्नर" स्थापित करें। इसका मानक आकार और डिज़ाइन सीधे आधिकारिक एंटी-रैगिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

5. लचीली समय-सारणी: स्थानीय शैक्षणिक कैलेंडर और छात्रों की उपलब्धता के आधार पर, इन जागरूकता गतिविधियों को पूरे अगस्त महीने तक बढ़ाया और जारी रखा जा सकता है।

इन कार्यक्रमों के समाप्त होने के बाद, सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को गतिविधियों का विवरण, प्रतिभागियों की संख्या, सोशल मीडिया लिंक और कार्यक्रम की तस्वीरों का गूगल ड्राइव लिंक शामिल करते हुए 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' (Action Taken Report - ATR) तैयार करनी होगी। इस रिपोर्ट को आधिकारिक लिंक पर अपलोड करना अनिवार्य है: https://antiragging.in/action-taken-on-celebration-of-anti-ragg ing-day-2026.php

इस अभियान को सफल बनाने में आपके सक्रिय योगदान की पूरी अपेक्षा है।

सादर,

श्यामा रथ

(श्यामा रथ)

सेवा में,

प्राचार्य/निदेशक/कुलसचिव
सभी अभातशिप अनुमोदित संस्थान/विश्वविद्यालय

प्रतिलिपि:

सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), नई दिल्ली